197

आयोजनागत

संख्याः /XI/2011-56(10)2009

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग देहरादून दिनांक 28 सितम्बर ,2010

विषयः— केन्द्र सहायतित योजना ''राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना'' के केन्द्रॉश के सापेक्ष राज्यॉश की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1853/5—लेखा.—77/एन.आर.इ.जी.ए./बजट/2011.12 दिनॉक 5.9.2011 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्याः 807/ X1/2011 दिनॉक 18.7.2011 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम्य विकास विभाग के अधीन केन्द्र सहायतित योजना ''राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना'' के सुचारू कार्यान्वयन हेतु केन्द्रॉश के सापेक्ष राज्यॉश के रूप में वित्तीय वर्ष 2011.12 में **रू0 107.39 लाख (रू0 एक करोड सात लाख उन्तालीस हजार मात्र) की धनराशि** आपके निर्वतन पर निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखते हुए नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः—

1. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का आवंटन उपायुक्त कार्यक्रम एवं व्यय संबंधित आहरण—वितरण अधिकारियों द्वारा संबंधित जनपद हेतु केन्द्रॉश की स्वीकृति आदेश के उपरान्त, धनराशि की पुष्टि होने पर ही किया जायेगा एवं राज्यॉश की धनराशि नियमानुसार व्यय किये जाने का उनका दायित्व होगा।
2. राज्यॉश की धनराशि का आवंटन नियमानुसार निर्धारित अनुपातिक आधार पर एवं संबंधित योजना हेतु नियोजन विभाग द्वारा आवंटित परिव्यय की सीमा के अन्तर्गत योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार ही किया जायेगा।
3. प्रश्नगत धनराशि उन्ही कार्यो/प्रयोजनों पर ही व्यय की जायेगी जिनके लिए स्वीकृत की जा रही है, किसी भी स्थिति में इस धनराशि का व्यवर्तन नहीं किया जायेगा।
4. प्रश्नगत योजना में निर्वतन पर रखी गयी धनराशि में से केन्द्रॉश की पूर्व स्वीकृत किश्त की धनराशि के सापेक्ष यदि राज्यॉश की देयता अवशेष हो, की नियमानुसार स्वीकृति प्राथमिकता के आधार पर की जाय।
5. उक्त योजना की धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैन्युवल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से

पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा बजट मैन्युवल, उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स–2008 व वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों/आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

6. उक्त धनराशि को आवंटित एवं व्यय करते समय योजना के संबंध में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों/मानकों का अनुपालन कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

7. योजना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु नियमानुसार दिये जा रहे अंश का व्यय उन्हीं जातियों के कल्याणार्थ कराये जा रहे कार्यों पर ही किया जायेगा।

8. स्वीकृतियों का रजिस्टर रखा जाय और प्रत्येक माह में स्वीकृति/व्यय संबंधी सूचना अद्यतन करते हुए स्वीकृतियों की प्रति सहित निर्धारित प्रपत्र बी0एम0–13 पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

9. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय/उपभोग दिनॉक 31.03.2012 तक करते हुए अवशेष अप्रयुक्त धनराशि को समयान्तर्गत समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

10. उपरोक्त प्रस्तर–01 से 09 तक के दिशा निर्देशों में विचलन होने की स्थिति में इसकी सूचना तत्काल वित्त विभाग को उपलब्ध करा दी जाय।

11. पूर्व स्वीकृत धनराशि सहित दिनांक31.3.1012 व्यय/उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा ।

12. गत वर्ष की अवशेष धनराशि सहित कुल उपलब्ध धनराशि का व्यय /उपयोग शीघ्र सुनिश्चित किया जायेगा ।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 11.12 के आय–व्ययक में **अनुदान संख्या –19 के लेखा शीर्षक 2501–ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम –01– समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम –800– अन्य व्यय –01–केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं –0110– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना हेतु राज्यांश –42 अन्य व्यय से रू0 82.69 लाख , अनुदान संख्या –30 के लेखा शीर्षक 2501–ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम –01– समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम –800– अन्य व्यय –02 अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेंन्ट प्लान–0207– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना –20 सहायक अनुदान /अंशदान/राज सहायता से रू0 20.41 लाख तथा अनुदान संख्या –31 के लेखा शीर्षक 2501–ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम –01– समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम –796 जनजाति क्षेत्र उपयोजना –01–कन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं –0106 –राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना –42 अन्य से रू0 4.29 लाख वहन किया जायेगा तथा उपरोक्त सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा ।**

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 209 /XXVII(1)/2011 दिनॉक 31.3.2011 द्वारा प्रदत्त प्राधिकार के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)

सचिव